गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

बनाम

तारिणी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य

5 जुलाई, 2016

सिविल अपील सं. 5875 / 2012

[रंजन गोगोई,जे. और प्रफुल्ला सी.पंत,जे.जे.]

विद्युत अधिनियम, 2003-एस.61,62,6./ और 86-बिजली खरीद समझौते (पी. पी. ए.) के तहत शुल्क-राज्य बिजली नियामक आयोग द्वारा अनुमत है या नहीं-की पुनर्विलोकन आयोजित की गईःशुल्क का निर्धारण और निर्धारण एक वैधानिक कार्य है जिमें आयोग द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाना है।एस। 86(1){ख) विद्युत अधिनियम द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप-गुजरात विद्युत नियामक आयोग (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम, 2016 के विनियम 31 के तहत, निर्धारित शुल्क आवधिक पुनर्विलोकन के अधीन है-इसके अलावा 2016 विनियमों के विनियम 23 के तहत, अनियंत्रित कारकों के कारण शुल्क में समायोजन की अनुमति है-इस प्रकार, एस.86(1){ख) अदालत को लचीलेपन पक्ष में झुकना चाहिए और समझौते के संदर्भ में अनुल्लंघनीयता को नहीं पढ़ना चाहिए-अदालत को एस. एस. को देखते हुए भी इस तरह के दृष्टिकोण पक्ष में झुकना चाहिए। 14 और सामान्य खंड अधिनियम के 21-गुजरात विद्युत नियामक आयोग (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम, 2016-विनियम 23 और 31-सामान्य खंड अधिनियम, 1897-एस.14 और 21.

न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज करते हुये अभिनिर्धारित किया गया :-

1. विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि "खुली पहुंच की स्थिति" में या अधिनियम की धारा 63 द्वारा कवर की गई प्रतिस्पर्धी बोली की स्थिति में शुल्क निर्धारित करने के अलावा, शुल्क का निर्धारण और निर्धारण एक वैधानिक कार्य है जिसे विद्युत नियामक आयोग अधिनियम,1988 के तहत गठित राज्य नियामक आयोगों द्वारा किया जाता है और विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप शक्तियों का प्रयोग किया जाता है।[पैरा9)(997-एफ जी)

2. आयोग द्वारा जिन सिद्धांतों पर शुल्क निर्धारित किया जाना है, वे विद्युत अधिनियम की धारा 61 में निर्धारित किए गए हैं। बिजली का उत्पादन, पारेषण, वितरण और आपूर्ति वाणिज्यिक सिद्धांतों पर की जानी चाहिए; जहां उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जानी है, वहीं बिजली की लागत की उचित तरीके से वसूली भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।धारा 64 (6) में तहत एक शुल्क आदेश ऐसी अवधि में लिए लागू रहता है जो निर्दिष्ट की जा सकती है।गुजरात राज्य में, वर्तमान में, गुजरात विद्युत नियामक आयोग (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम, 2016 राज्य आयोग द्वारा शुल्क के निर्धारण को नियंत्रित करता है।विनियमन के अनुसार, आयोग को नियंत्रण अवधि (नियंत्रण अवधि 5 वर्ष है) के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक उत्पादन कंपनी, पारेषण लाइसेंसधारी, एस. एल. डी. सी. और वितरण लाइसेंसधारी के शुल्क का निर्धारण करना आवश्यक है।[पैरा 11] [1003-सी-ई]

3. न केवल निर्धारित शुल्क की समय-समय पर पुनर्विलोकन की जाती है, बल्कि उपरोक्त विनियमों में आकस्मिक घटनाओं को ध्यान में रखने का भी प्रावधान है। किसी भी बल आकस्मिकता को एक अनियंत्रित कारक माना जाता है।वास्तव में विनियम 23 में यह प्रावधान है कि अनियंत्रित कारक के कारण अनुमोदित कुल लाभ

या हानि को आयोग के आदेश में निर्दिष्ट की गई अवधि के दौरान शुल्क में समायोजन के रूप में किया जाएगा।[पैरा 12] [1003-एच; 1004-ए)

4. जब शुल्क आदेश स्वयं आवधिक पुनर्विलोकन के अधीन है, तो यह देखना मुश्किल है कि बिजली परियोजना के चालू होने की तारीख पर प्रचलित एक विशेष शुल्क को शामिल करने से बिजली उत्पादक को संयंत्र के जीवन की पूरी अवधि (20 वर्ष) के लिए कैसे बाध्य किया जा सकता है, जैसा कि जूनागढ़ के मामले में पीपीए के खंड 4.6 द्वारा परिकल्पना की गई है। 1973-1974 / 2014 के अलावा, एयर कूल्ड कंडेनसर के कारण शुल्क में संशोधन और बायोगैस ईंधन के अपर्याप्त मूल्य निर्धारण के दावे के कारण इसे अस्वीकार करना अपने आप में विरोधाभासी है।[पैरा 14] [1005-सी-डी]

5. विद्युत अधिनियम की धारा 86 (1) (बी) राज्य आयोग को वितरण और आपूर्ति के लिए उत्पादित बिजली के लिए समझौतों के माध्यम द्वारा उत्पादन करने वाली कंपनियों और वितरण लाइद्वारांसधारियों के बीच बिजली की बिक्री और खरीद के मूल्य को विनियमित करने का अधिकार देती है।विनियमन की शक्ति वास्तव में व्यापक महत्व की है।[पैरा 15) [1005-सी-ई)

> "श्री वेंकट सेतारामंजनेय चावल और तेल मिलें और अन्य ए. पी. राज्य 1964 एस. सी. आर. 456: ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1781; के.रामनाथन बनाम टी. एन. और ए. एम. राज्यः1985 (2) एससीआर 1028:(1985) 2 अन्य सी. सी. 116 और डी. के. त्रिवेदी एंड संस बनाम गुजरात राज्य और अन्य। 1986 एससीआर 479: (1986) सप.एस. सी. सी. 20-पर निर्भर।"

6. इस प्रकार, धारा 86 (1) (बी) को ध्यान में रखते हुए अदालत को लचीलेपन पक्ष में झुकना चाहिए और जहां तक आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क का संबंध है, पी. पी. ए. के संदर्भ में अनुल्लंघनीयता को नहीं पढ़ना चाहिए।यदि आसपास की घटनाओं और परिस्थितियों द्वारा निर्धारित सार्वजनिक हित के लिए शुल्क की पुनर्विलोकन की आवश्यकता होती है तो ऐसी शक्ति प्रदान करना व्याख्या का एक ठोस सिद्धांत होगा। वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है कि अदालत को सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 14 और 21 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखते हुए इस तरह के दृष्टिकोण पक्ष में झुकना चाहिए।[पैरा 16] [1007-जी-एच;1008-ए-बी]

> "डी. के. त्रिवेदी एंड अन्य गुजरात राज्य और अन्य। 1986 एससीआर 479: (1986) सप.एस. सी. सी. 20; श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2011(3) एस. सी. आर. 134:(2011) 3 एस. सी. सी. 193-पर निर्भर था।"

7. वर्तमान मामले में निश्चित रूप से, उत्पादन कंपनी और वितरण लाइसेंस के बीच बिजली खरीद समझौते में शामिल शुल्क। राज्य नियामक आयोग द्वारा अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित शुल्क मेंऐसी स्थिति में यह मानना संभव नहीं है कि पार्टियों द्वारा और उनके बीच सहमत शुल्क, हालांकि एक संविदात्मक संदर्भ में उल्लेख किया गया है, पार्टियों की इच्छा के एक कार्य का परिणाम है, जिसे किसी भी मामले में आपसी सहमति के अलावा बदला नहीं जा सकता है। बल्कि, यह वैधानिक शक्तियों के प्रयोग में किया गया एक निर्धारण है जो दोनों पक्षों के बीच एक पारस्परिक समझौते में शामिल हो गया है।[पैरा 10] [1003-ए-सी]

> "आंध्र प्रदेश पारेषण निगम बनाम साई रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड। 2010 (8) एससीआर 636:(2011) 11 एस. सी. सी. 34;

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम.ई. एम. सी. ओ. लिमिटेड और एमः2016 एससीआर 857:2016 (2) स्केल 75; बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी बनाम।कोणार्क पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 2015 (5) स्केल 711-विशिष्ट।"

मामला कानून संदर्भ

1964 एस. सी. आर. 456	पर निर्भर	पैरा 15
1985 (2) एस. सी. आर. 1028	पर निर्भर	पैरा 15
1986 एस. सी. आर. 479	पर निर्भर	पैरा 15 और 16
2011 (3) एस. सी. आर. 134	पर निर्भर	पैरा 17
2010 (8) एस. सी. आर. 636	विशिष्ट	पैरा 10
2016 एस. सी. आर. 857	विशिष्ट	पैरा 18
2015 (5) स्केल 711	विशिष्ट	पैरा 18

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल याचिका सं 5875 / 2012 .

विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अपील संख्या 29/2011 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 31.05.2012 से

के साथ

सीए संख्या 1973-1974/2014

सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. जी. रामचंद्रन, आनंद गणेशन, सुश्री रंजीता रामचंद्रन, सुश्री हेमंतिका वाही, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए।

संजय सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता, मातृगुप्त मिश्रा, सुश्री शिखा ओहरी, संतोष कुमार, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण के लिए ।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश रंजन गोगोई, जे. द्वारा पारित किया गया :-

1. क्या पीपीए (पावर परचेज एग्रीमेंट) के तहत तय किया गया टैरिफ पवित्र है और राज्य विद्युत द्वारा अनुलंघनीय और समीक्षा और सुधार से परे विनियामक आयोग जो कि निर्धारण हेतु वैधानिक प्राधिकारी है विद्युत अधिनियम, 2003 (इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत टैरिफ। यह वह संक्षिप्त प्रश्न है जो वर्तमान में संकल्प के लिए उठता है अपील. नियामक आयोग ने इसे उचित नहीं समझा के प्रावधानों के निर्माण पर स्वयं को उक्त शक्ति प्रदान करता है प्रश्नगत अधिनियम और पीपीए की शर्तें। अपीलीय न्यायाधिकरण असहमत हुए और माना कि बिजली राज्य को उपलब्ध होगी नियामक आयोग. इस तरह ये मामला हमारे सामने आया है वर्तमान अपील वितरण लाइसेंसधारी के कहने पर दायर की गई है दोनों मामलों में सामान्य, अर्थात् गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड।

2. प्रासंगिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण उचित होगा और पहचाने जाने वाले प्रश्न के निर्धारण में सहायता मिलेगी यहाँ ऊपर.

2012 की सिविल अपील संख्या 5875 में प्रतिवादी नंबर 1, अर्थात् तारिणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एक बिजली उत्पादक है जिसने दो स्थापित/स्थापित किए हैं गुजरात राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाएँ। जनवरी, 2008 में प्रतिवादी नंबर 1- बिजली उत्पादक ने अपीलकर्ता के साथ एक पीपीए में प्रवेश किया- उत्पादन स्टेशनों से

बिजली की बिक्री के लिए वितरण लाइसेंसधारी 35 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंधित मात्रा की सीमा तक रु. 3.29 प्रति किलोवाट, वाणिज्यिक तिथि तक प्रति वर्ष 3% की वृद्धि के अधीन संचालन। मार्च, 2010 में, उत्पादन के चालू होने से ठीक पहले स्टेशन, प्रतिवादी बिजली उत्पादक ने टैरिफ में वृद्धि की मांग की रु. 4.70 प्रति यूनिट इस आधार पर कि हालांकि रियायत समझौते के तहत के तहत निकटतम उप-स्टेशन राखोली में बिजली खाली की जानी थी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी (GETCO) का अधिकार क्षेत्र उसके स्विच यार्ड से 4 किलोमीटर की दूरी पर था, इसका एहसास बाद में हुआ रखोली दादर नगर हवेली में था. नतीजतन, ट्रांसमिशन लाइन थी मोटा पोंधा नामक बिंदु तक स्थापित करने की आवश्यकता है जिसमें एक शामिल है कुल दूरी 23 कि.मी. मूल रूप से परिकल्पित 4 किमी के बजाय। माना जाता है कि अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे की लागत लगभग रु. जो 10 करोड़ था के बीच हुए रियायत समझौते में इसकी परिकल्पना नहीं की गई है प्रतिवादी-बिजली उत्पादक और नर्मदा जल संसाधन विभाग (प्रतिवादी संख्या 2). इन परिस्थितियों में, बिजली उत्पादक ने आवेदन किया टैरिफ के पुनर्निर्धारण के लिए राज्य नियामक आयोग। उक्त अनुरोध को मुख्य रूप से दिनांक 03.09.2010 के एक आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था आधार यह है कि एक बार टैरिफ निर्धारित किया गया था और उसके बाद इसमें शामिल किया गया था पीपीए में इसके पुनर्निर्धारण की कोई गुंजाइश नहीं थी बिजली उत्पादक का एकतरफा अनुरोध।

3. जहां तक 2014 की सिविल अपील संख्या 1973-1974 का संबंध है, प्रतिवादी-बिजली उत्पादक, अर्थात्, जूनागढ़ पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट। लिमिटेड, है बायोमास आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किया और पीपीए में प्रवेश किया गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड (वितरण लाइसेंसधारी) के साथ 26.11.2010. पीपीए में शामिल टैरिफ को पहले मंजूरी दे दी गई थी राज्य विनियामक आयोग द्वारा

टैरिफ आदेश दिनांक 17.05.2010 द्वारा बायोमास की लागत के आधार पर रु. प्रति वर्ष 5% की वृद्धि के साथ 1600 प्रति मीट्रिक टन संचालन के 20 वर्षों की अवधि के लिए। बायोमास ऊर्जा डेवलपर्स एसोसिएशन ने बायोमास ईंधन की लागत को संशोधित कर रुपये करने की मांग की। 3000/- प्रति मीट्रिक टन और टैरिफ के परिणामी पुनर्निर्धारण के लिए। उक्त समीक्षा नवंबर, 2010 में राज्य आयोग द्वारा याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद, बिजली उत्पादक ने स्वयं ही राज्य नियामक का रुख किया आयोग एयर कूल्ड के कारण टैरिफ में संशोधन की मांग कर रहा है कंडेनसर और बायोमास ईंधन लागत में वृद्धि की भी मांग कर रहे हैं उस आधार पर टैरिफ का परिणामी पुनर्निर्धारण। राज्य विनियामक आयोग ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2010 द्वारा अनुमति देते हुए एयर कूल्ड कंडेनसर के कारण टैरिफ में वृद्धि, अनुरोध को अस्वीकार कर दिया बिजली उत्पादक को मुख्य रूप से बायोमास ईंधन लागत की कीमत की समीक्षा करनी होगी इस आधार पर कि बायोमास ईंधन की कीमत की समीक्षा की जा रही है पहले बायोमास एनर्जी डेवलपर्स एसोसिएशन के मामले में खारिज कर दिया गया था बिजली उत्पादक के अनुरोध पर उक्त कीमत की समीक्षा अब नहीं की जा सकती अनुमत।

4. विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण ने आक्षेपित आदेशों को खारिज कर दिया राज्य विनियामक आयोग द्वारा विचार कर लिया गया विचार अधिनियम के प्रावधान और पीपीए के नियम और शर्तें। विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण का उपरोक्त दृष्टिकोण मुख्यतः पर आधारित है यह तर्क देते हुए कि अधिनियम के तहत यह राज्य नियामक आयोग है को वैधानिक रूप से टैरिफ आदि निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है के बीच टैरिफ को पीपीए में तय और शामिल किया जा सकता है वितरण लाइसेंसधारी और बिजली उत्पादक की समीक्षा की जानी चाहिए किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में परिवर्तन का प्रकाश। के मामले में जूनागढ़ पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.

लिमिटेड विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण भी गया इस हद तक कि यदि किसी कारणवश बदले हुए परिदृश्य में आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों में भारी बदलाव टैरिफ का निर्धारण, एक समीक्षा बिजली उत्पादक द्वारा अस्वीकार/अस्वीकार कर दी जाती है के पास अपने प्लांट बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए, ए राज्य में निहित वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए टैरिफ की समीक्षा नियामक आयोग पूरी तरह न्यायोचित होगा. यह की शुद्धता है उपरोक्त दृष्टिकोण जिसकी वर्तमान अपीलों में आलोचना की गई है अधिनियम की धारा 125।

5. हमने श्री सी.ए. को सुना है। सुंदरम, विद्वान वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए अपीलकर्ता की ओर से और श्री संजय सेन की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील अपीलों के दोनों सेटों में प्रतिवादी-बिजली उत्पादक।

6. अपीलकर्ता-वितरण लाइसेंसधारी की ओर से दलीलें दोनों ही मामले कमोबेश सामान्य हैं। तारिणी के मामले में इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से यह आग्रह किया जाता है कि पीपीए के खंड 5.2 के तहत अपीलकर्ता को राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ का भुगतान करना आवश्यक है जो प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ने के लिए उत्तरदायी है। टैरिफ आदेश नहीं है बिजली उत्पादक द्वारा चुनौती दी गई। इसलिए, टैरिफ द्वारा अनुमोदित राज्य नियामक आयोग और पीपीए में शामिल रहेगा सहमत समयावधि के लिए बल और उसे बदला नहीं जा सकता एकतरफा. इस संबंध में निर्भरता हाल के दो निर्णयों पर रखी गई है यह न्यायालय गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम के मामले में है। ईएमसीओ लिमिटेड और अन्य[2016 (2) स्केल 75] और बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी बनाम। कोणार्क पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड[2015(5) स्केल 711]. यह तर्क दिया गया है कि उक्त मामलों में यह माना गया है कि पी.पी.ए के टैरिफ आदेश के साथ विधिवत दर्ज किया गया है और अन्यथा सुसंगत है राज्य नियामक आयोग को

दोबारा नहीं खोला जा सकता. कुछ हद तक "असंगत"। नोट" आंध्र प्रदेश के ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में इस न्यायालय द्वारा मारा गया बनाम साई रिन्यूएबल पावर प्रा. लिमिटेड[(2011) 11 एससीसी 34] द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है अपीलकर्ता ने यह तर्क देकर कि उस मामले में शामिल पीपीए में एक था विशिष्ट खंड कि टैरिफ राज्य के आदेशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा समय-समय पर विनियामक आयोग।

विशेष रूप से जूनागढ़ पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में। लिमिटेड (प्रतिवादी) 2914 के सिविल अपील संख्या 1973-1974 में नंबर 1) यह आग्रह किया गया है कि मांग के पुनर्निर्धारण के लिए बायोमास एनर्जी डेवलपर्स एसोसिएशन द्वारा उठाया गया ईंधन लागत बढ़ाकर टैरिफ रु. 3000 प्रति एमटी खारिज कर दिया गया था पहले और यह मुद्दा कानून में अंतिम रूप ले चुका है। पीपीए नवीनीकृत हुआ के मुद्दे के कारण टैरिफ में संशोधन की अनुमति की सीमा तक एयर कूल्ड कंडेनसर का संबंध है और इससे आगे नहीं, यह आग्रह किया जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए यह ध्यान दिया जा सकता है कि पिछली कार्यवाही में अधिक टैरिफ लगाया गया था एयर कूल्ड कंडेनसर वाले बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों को अनुमति दी गई।

7. वहीं, बिजली उत्पादकों की ओर से दलील दी गई है कि टैरिफ का निर्धारण और निर्धारण इसके अभ्यास के उदाहरण हैं धारा 62 के तहत राज्य नियामक आयोग की वैधानिक शक्तियां पढ़ें अधिनियम की धारा 86(1)(a) के साथ। में टैरिफ का मात्र समावेश उत्पादन कंपनी और वितरण लाइसेंसधारी के बीच एक पीपीए होगा टैरिफ को अनुबंध के द्वारा और उसके बीच सर्वसम्मति से निर्णय न लें जिन पार्टियों को केवल आयोग द्वारा आपसी सहमति से बदला जा सकता है पार्टियों की सहमति.

8. गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम में निर्णयों पर भरोसा किया गया। ईएमसीओ लिमिटेड और amp; अन्य. (सुप्रा) और बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई

कंपनी बनाम। कोणार्क पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सुप्रा) ने संदर्भ द्वारा अलग पहचान बनाने की मांग की है जिन तथ्यों के सन्दर्भ में वही प्रतिपादन किया गया है। आंध्र प्रदेश के ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ बनाम साई रिन्यूएबल पावर प्रा. लिमिटेड (सुप्रा) (पैरा 64) भूमिका के संबंध में और निर्धारण के मामले में नियामक आयोग का अधिकार टैरिफ पर भरोसा किया गया है। इसके अलावा, जो भाषा दिखाई दे रही है अधिनियम की धारा 86(1)(बी) पर विशेष रूप से विवाद करने के लिए भरोसा किया गया है अधिनियम का उक्त प्रावधान राज्य नियामक को प्रदान करता है बिजली जिस कीमत पर होगी उसे विनियमित करने के लिए शक्ति आयोग को नियुक्त करें उत्पादन कंपनियों या लाइसेंसधारियों से अनुबंध के माध्यम से प्राप्त किया जाता है राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति के लिए बिजली की खरीद के लिए।" श्री वेंकट में इस न्यायालय के निर्णयों पर भी निर्भरता रखी गई है सेटरामंजनेया चावल और तेल मिलें और अन्य। बनाम ए.पी. राज्य[एआईआर 1964 एससी 1781], के. रामनाथन बनाम. टी.एन राज्य & अन्य.[(1985) 2 एससीसी 116] और डी.के. त्रिवेदी औरसंस बनाम. के राज्य गुजरात और अन्य.[(1986) पूरक। एससीसी 20] "विनियमित" शब्द के व्यापक अर्थ के संबंध में। यह है आगे बताया कि आपूर्ति के प्रयोजनों के लिए बिजली उत्पादन पीपीए में परिकल्पित शर्तें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप इसे बंद किया जा सकता है जूनागढ़ पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की पिछले 3 वर्षों से और संभावित किए गए भारी निवेश का नुकसान.

9. 2003 का विद्युत अधिनियम को समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उत्पादन, पारेषण से संबंधित मौजूदा कानूनों को उन्नत करें, बिजली का वितरण, व्यापार और उपयोग; अनुकूल उपाय करने के लिए एक उद्योग के रूप में बिजली का विकास; प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना उसमें और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना; टैरिफ को तर्कसंगत बनाएं और कुशल और पर्यावरण अनुकूल नीतियां बनाने के

अलावा उन्हें बढ़ावा देना अत्यधिक जटिल मामलों से निपटने के लिए विभिन्न नियामक और अपीलीय निकाय के उत्पादन, वितरण और बिक्री के संबंध में तकनीकी मुद्दे टैरिफ के निर्धारण सहित बिजली। के प्रावधानों का एक वाचन 2003 का अधिनियम यह दिखाएगा कि टैरिफ के निर्धारण के अलावा "खुली पहुंच की स्थिति" या प्रतिस्पर्धी बोली की स्थिति में कवर किया गया अधिनियम की धारा 63 द्वारा, टैरिफ का निर्धारण और निर्धारण एक है राज्य नियामक आयोगों द्वारा किया जाने वाला वैधानिक कार्य विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1988 के तहत गठित और द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप शक्तियों का प्रयोग करना विद्युत अधिनियम, 2003। जहां तक टैरिफ के निर्धारण का संबंध है, भाग अधिनियम के VII में राज्य आयोग के कार्यों के साथ पढ़ा गया धारा 86 प्रासंगिक हैं और इन्हें विशेष रूप से लागू करने की आवश्यकता होगी ध्यान दिया। धारा 61, 62 64 और अधिनियम की धारा 86 इसलिए लागू की जा रही है यहाँ नीचे निकाला गया है।

> "61. टैरिफ विनियम:- उपयुक्त आयोग, के अधीन होगा इस अधिनियम के प्रावधान, इसके लिए नियम और शर्तें निर्दिष्ट करते हैं टैरिफ का निर्धारण, और ऐसा करने में, निम्नलिखित द्वारा निर्देशित किया जाएगा, अर्थात्:-
>
> (ए) केंद्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांत और कार्यप्रणाली उत्पादन कंपनियों पर लागू टैरिफ के निर्धारण के लिए और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी;
>
> (बी) बिजली का उत्पादन, पारेषण, वितरण और आपूर्ति वाणिज्यिक सिद्धांतों पर संचालित होते हैं;

(सी) वे कारक जो प्रतिस्पर्धा, दक्षता, मितव्ययिता को प्रोत्साहित करेंगे संसाधनों का उपयोग, अच्छा प्रदर्शन और इष्टतम निवेश;

(डी) उपभोक्ताओं की सुरक्षा ब्याज और साथ ही, की वसूली उचित तरीके से बिजली की लागत;

(ई) प्रदर्शन में दक्षता को पुरस्कृत करने वाले सिद्धांत;

(एफ) बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांत;

1[(जी) कि टैरिफ उत्तरोत्तर आपूर्ति की लागत को दर्शाता है बिजली और द्वारा निर्दिष्ट तरीके से क्रॉस-सब्सिडी को भी कम करता है उपयुक्त आयोग;]

(ज) बिजली के सह-उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत;

(i) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति:

बशर्ते कि टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (54/1948 का), विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (14/1998 का) और इसमें निर्दिष्ट अधिनियम अनुसूची के रूप में वे नियत तारीख से ठीक पहले खड़े थे, होगा एक वर्ष की अवधि के लिए या शर्तों तक आवेदन करना जारी रखें टैरिफ के लिए शर्तें इस अनुभाग के तहत निर्दिष्ट हैं, जो भी हो पहले।"

"62. टैरिफ का निर्धारण:- (1) उपयुक्त आयोग करेगा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ निर्धारित करें -

(ए) एक उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण को बिजली की आपूर्ति लाइसेंसधारी:

बशर्ते कि उपयुक्त आयोग, आपूर्ति की कमी के मामले में बिजली की, बिक्री के लिए टैरिफ की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय करें या के बीच हुए एक समझौते के अनुसरण में बिजली की खरीद एक उत्पादन कंपनी और एक लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के बीच, कुछ अवधि के लिए नहीं बिजली की उचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष से अधिक का समय;

(बी) बिजली का संचरण;

(सी) बिजली का पहिया चलाना;

(डी) बिजली की खुदरा बिक्री:

बशर्ते कि एक ही क्षेत्र में विद्युत वितरण के मामले में दो या दो से अधिक वितरण लाइसेंसधारियों के लिए, उपयुक्त आयोग ऐसा कर सकता है वितरण लाइसेंसधारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, केवल अधिकतम सीमा तय करना बिजली की खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा।

(2) उपयुक्त आयोग को लाइसेंसधारी या उत्पादक की आवश्यकता हो सकती है कंपनी को अलग-अलग विवरण प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि इसके संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है टैरिफ के निर्धारण के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण।

(3) टैरिफ का निर्धारण करते समय उपयुक्त आयोग ऐसा नहीं करेगा इस अधिनियम के तहत, बिजली के किसी भी उपभोक्ता को अनुचित प्राथमिकता देना लेकिन उपभोक्ता के लोड फैक्टर, पावर फैक्टर के अनुसार अंतर हो सकता है, वोल्टेज, किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बिजली की कुल खपत या जिस समय आपूर्ति की आवश्यकता है या भौगोलिक स्थिति कोई भी क्षेत्र, आपूर्ति की प्रकृति और वह उद्देश्य जिसके लिए आपूर्ति की जा रही है आवश्यक।

(4) किसी भी टैरिफ या किसी टैरिफ के हिस्से में आमतौर पर अधिक संशोधन नहीं किया जा सकता है किसी भी वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार, किसी भी वित्तीय वर्ष को छोड़कर किसी भी ईंधन अधिभार फार्मूले की शर्तों के तहत स्पष्ट रूप से परिवर्तन की अनुमति है जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(5) आयोग को अनुपालन के लिए लाइसेंसधारी या उत्पादक कंपनी की आवश्यकता हो सकती है ऐसी प्रक्रियाओं के साथ जो अपेक्षित की गणना के लिए निर्दिष्ट की जा सकती हैं टैरिफ और शुल्कों से राजस्व जिसकी उसे अनुमति है वापस पाना।

(6) यदि कोई लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी कोई कीमत या शुल्क वसूलती है इस धारा के तहत निर्धारित टैरिफ से अधिक, अतिरिक्त राशि होगी उस व्यक्ति द्वारा वसूली योग्य होगी जिसने ऐसी कीमत या शुल्क का भुगतान किया है किसी अन्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंक दर के समतुल्य ब्याज लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया गया दायित्व।

"64. टैरिफ आदेश हेतु प्रक्रियाः- (1) निर्धारण हेतु आवेदन धारा 62 के तहत टैरिफ एक उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी द्वारा बनाया जाएगा ऐसे तरीके से और ऐसे शुल्क के साथ, जैसा निर्धारित किया जा सकता है विनियम.

(2) प्रत्येक आवेदक ऐसे संक्षिप्त रूप में आवेदन प्रकाशित करेगा और तरीका, जैसा कि उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) उपयुक्त आयोग, एक सौ बीस दिनों के भीतर उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने से लेकर विचार करने के बाद जनता से प्राप्त सभी सुझाव एवं आपत्तियाँ,-

(ए) ऐसे संशोधनों के साथ आवेदन स्वीकार करते हुए टैरिफ आदेश जारी करें या ऐसी शर्तें जो उस आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती हैं;

(बी) यदि ऐसा है तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकार करें आवेदन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधान फिलहाल लागू:

बशर्ते कि आवेदक को उचित अवसर दिया जाएगा उनके आवेदन को खारिज करने से पहले सुनवाई की.

(4) उपयुक्त आयोग, बनाने के सात दिनों के भीतर आदेश, आदेश की एक प्रति उपयुक्त सरकार को भेजें प्राधिकरण, और संबंधित लाइसेंसधारियों और संबंधित व्यक्ति को।

(5) भाग एक्स में किसी बात के होते हुए भी, किसी के लिए टैरिफ बिजली की अंतरराज्यीय आपूर्ति, पारेषण या व्हीलिंग, जैसा भी मामला हो आवेदन करने पर, दो राज्यों के क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है यह ऐसी आपूर्ति, पारेषण या कार्य करने का इरादा रखने वाली पार्टियों द्वारा किया जाता है व्हीलिंग, इस धारा के तहत राज्य आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी वितरण का इरादा रखने वाले लाइसेंसधारी के संबंध में क्षेत्राधिकार बिजली और उसके लिए भुगतान करें।

(6) टैरिफ आदेश, जब तक संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता, बना रहेगा टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए बल।

"86. राज्य आयोग के कार्य:- (1) राज्य आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करें, अर्थात्: -

(ए) उत्पादन, आपूर्ति, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग के लिए टैरिफ निर्धारित करें बिजली, थोक, थोक या खुदरा, जैसा भी मामला हो, के भीतर राज्य:

बशर्ते कि जहां किसी श्रेणी तक खुली पहुंच की अनुमति दी गई हो धारा 42 के तहत उपभोक्ताओं के लिए, राज्य आयोग केवल निर्धारित करेगा उक्त श्रेणी के लिए व्हीलिंग शुल्क और उस पर अधिभार, यदि कोई हो उपभोक्ता;

(बी) बिजली खरीद और वितरण की खरीद प्रक्रिया को विनियमित करें लाइसेंसधारकों से वह कीमत भी शामिल है जिस पर बिजली खरीदी

जाएगी उत्पादक कंपनियों या लाइसेंसधारियों या अन्य स्रोतों से के भीतर वितरण और आपूर्ति के लिए बिजली की खरीद के लिए समझौते राज्य;

(सी) बिजली के अंतर-राज्य पारेषण और व्हीलिंग की सुविधा प्रदान करना;

(डी) ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना, वितरण लाइसेंसधारियों और बिजली व्यापारियों के संबंध में राज्य के भीतर संचालन;

(ई) नवीकरणीय से बिजली के सह-उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना के साथ कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त उपाय प्रदान करके ऊर्जा के स्रोत ग्रिड और किसी भी व्यक्ति को बिजली की बिक्री, और खरीद के लिए भी निर्दिष्ट करें ऐसे स्रोतों से बिजली का, कुल खपत का एक प्रतिशत वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली;

(एफ) लाइसेंसधारियों और उत्पादकों के बीच विवादों पर निर्णय देना कंपनियों और किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना;

(छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शुल्क लगाना;

(h) ग्रिड कोड के अंतर्गत निर्दिष्ट के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड निर्दिष्ट करें धारा 79 की उपधारा (1) का खंड (h);

(i) गुणवत्ता, निरंतरता आदि के संबंध में मानक निर्दिष्ट या लागू करना लाइसेंसधारियों द्वारा सेवा की विश्वसनीयता;

(जे) बिजली के अंतर-राज्य व्यापार में व्यापार मार्जिन तय करें, यदि माना, आवश्यक; और

(के) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के तहत उसे सौंपे जा सकते हैं।

(2) राज्य आयोग सभी या किसी पर राज्य सरकार को सलाह देगा निम्नलिखित मामले, अर्थात्:-

(i) की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना बिजली उद्योग;

(ii) बिजली उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना;

(iii) बिजली उद्योग का पुनर्गठन और पुनर्गठन राज्य;

(iv) उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार से संबंधित मामले बिजली या उसके द्वारा राज्य आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला सरकार।

(3) राज्य आयोग अपना कार्य करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा शक्तियां और अपने कार्यों का निर्वहन।

(4) अपने कार्यों के निर्वहन में, राज्य आयोग द्वारा निर्देशित किया जाएगा राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और टैरिफ नीति धारा 3 के अंतर्गत प्रकाशित हुई।"

10. जबकि अधिनियम की धारा 61 इसके लिए सिद्धांत बताती है टैरिफ का निर्धारण, अधिनियम की धारा 62 विभिन्न से संबंधित है टैरिफ/प्रभार के प्रकार तय किए जाने हैं। धारा 64 तरीके का वर्णन करती है टैरिफ का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाना आवश्यक है। पर दूसरी ओर धारा 86 जो आयोग के कार्यों से संबंधित है टैरिफ के निर्धारण को प्राथमिक कार्यों में से एक होने की बात दोहराता है जैसा कि ऊपर देखा गया है, आयोग के निर्धारण में एक नियामक शामिल है बिजली की खरीद और खरीद के संबंध में बिजली पीपीए में प्रवेश करके कंपनियों का निर्माण करना। टैरिफ की शक्ति निर्धारण/निर्धारण निस्संदेह वैधानिक है और यही दृष्टिकोण रहा है इस न्यायालय ने ट्रांसमिशन के पैराग्राफ 36 और 64 में व्यक्त किया है आंध्र प्रदेश निगम बनाम. साई रिन्यूएबल पावर प्रा. लिमिटेड (सुप्रा)। निःसंदेह, यह खुले में बिजली की कीमत के निर्धारण के अधीन है पहुंच (धारा 42) या खुली बोली के मामले में (धारा 63). में वर्तमान मामले में, माना जाता है कि टैरिफ को पीपीए में शामिल किया गया है उत्पादन कंपनी और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा तय किया गया टैरिफ है राज्य नियामक आयोग अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए। ऐसे में ऐसी स्थिति में यह मानना संभव नहीं है कि टैरिफ पर सहमति बनी हो हालाँकि पार्टियों का उल्लेख संविदात्मक संदर्भ में मिलता है, लेकिन यह परिणाम है पार्टियों की इच्छा का कार्य, जिसे किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता आपसी सहमति को छोड़कर. बल्कि, यह एक दृढ़ संकल्प है वैधानिक शक्तियों का प्रयोग जो एक आपसी समझौते में शामिल हो गया शामिल दोनों पक्षों के बीच.

11. आयोग द्वारा जिन सिद्धांतों पर टैरिफ निर्धारित किया जाना है जैसा कि धारा 61 में बताया गया है, उस पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है। पीढ़ी, बिजली का पारेषण, वितरण और आपूर्ति होना आवश्यक है वाणिज्यिक सिद्धांतों पर संचालित; जबकि उपभोक्ताओं का हित होना है सुरक्षा, उचित तरीके से बिजली की लागत की

वसूली की गई है यह भी सुनिश्चित किया जाए। धारा 64(6) के तहत टैरिफ आदेश जारी रहेगा ऐसी अवधि के लिए लागू है जो निर्दिष्ट की जा सकती है। गुजरात राज्य में, वर्तमान में, गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय) टैरिफ) विनियम, 2016 राज्य द्वारा टैरिफ के निर्धारण को नियंत्रित करता है आयोग। विनियम 31 के अनुसार आयोग को निर्धारित करना आवश्यक है एक उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, एसएलडीसी और का टैरिफ नियंत्रण अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वितरण लाइसेंसधारी (नियंत्रण अवधि 5 वर्ष है) (वित्तीय वर्ष 2016 से वित्तीय वर्ष 2021) निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए:

> "(ए) कुल राजस्व आवश्यकता का अनुमोदित पूर्वानुमान और अपेक्षित उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन के टैरिफ और शुल्क से राजस्व ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंसधारी, एसएलडीसी और वितरण लाइसेंसधारी, सहित मध्यावधि समीक्षा के समय संशोधन को मंजूरी दी गई, यदि कोई हो, और
>
> (बी) स्वीकृत लाभ और हानि, जिसमें उपलब्ध प्रोत्साहन भी शामिल है पिछले वर्ष के ट्रूइंग अप के बाद, टैरिफ में पारित किया गया।

12. इसके अलावा, न केवल निर्धारित टैरिफ समय-समय पर समीक्षा के अधीन है उपरोक्त विनियम बल को ध्यान में रखने का प्रावधान करते हैं अप्रत्याशित घटनाएँ. किसी भी अप्रत्याशित घटना को अनियंत्रित माना जाता है कारक। वास्तव में विनियम 23 यह प्रावधान करता है कि स्वीकृत कुल लाभ या अनियंत्रित कारक के कारण होने वाली हानि को एक के रूप में पारित किया जाएगा ऐसी अवधि में टैरिफ में समायोजन, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है आयोग का.

13. गुजरात विद्युत नियामक के विनियम 23 और 31 आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2016 को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है।

23. लाभ या हानि के माध्यम से पारित करने के लिए तंत्र अनियंत्रित कारक 23.1 उत्पादन कंपनी को स्वीकृत कुल लाभ या हानि ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या एसएलडीसी या वितरण लाइसेंसधारी के कारण अनियंत्रित कारकों को समायोजन के रूप में पारित किया जाएगा उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या एसएलडीसी का टैरिफ या वितरण लाइसेंसधारी को ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है आयोग ने इन विनियमों के तहत पारित किया।

23.2 उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या एसएलडीसी या वितरण लाइसेंसधारी के बीच भिन्नता का ऐसा विवरण प्रस्तुत करना होगा किए गए व्यय और अर्जित राजस्व और अनुमोदित आंकड़े आयोग को निर्धारित प्रारूप में आयोग के साथ-साथ विस्तृत गणनाएँ और सहायक दस्तावेज़, जिनकी आवश्यकता हो सकती है आयोग द्वारा सत्यापन.

23.3 इस विनियम 23 में निहित कोई भी बात किसी के संबंध में लागू नहीं होगी ईंधन और बिजली की कीमत में भिन्नता से उत्पन्न होने वाला लाभ या हानि खरीद, जिसे आयोग द्वारा निर्दिष्ट अनुसार निपटाया जाएगा समय - समय पर।

31. टैरिफ का वार्षिक निर्धारण

आयोग एक उत्पादन कंपनी के टैरिफ का निर्धारण करेगा, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, एसएलडीसी और वितरण लाइसेंसधारी एक मल्टी- के अंतर्गत आते हैं नियंत्रण अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वर्ष टैरिफ ढांचा निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, ऐसे वित्तीय वर्ष की शुरुआत:

(ए) कुल राजस्व आवश्यकता और अपेक्षित का अनुमोदित पूर्वानुमान जनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन के टैरिफ और शुल्क से राजस्व ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंसधारी, एसएलडीसी और वितरण लाइसेंसधारी, सहित मध्यावधि समीक्षा के समय अनुमोदित संशोधन, यदि कोई हो; और

(बी) स्वीकृत लाभ और हानि, जिसमें उपलब्ध प्रोत्साहन भी शामिल है पिछले वर्ष के ट्रूइंग अप के बाद, टैरिफ में पारित किया गया।"

14. जब टैरिफ ऑर्डर स्वयं आवधिक समीक्षा के अधीन है यह देखना कठिन है कि किसी विशेष टैरिफ का समावेश किस प्रकार प्रचलित है बिजली परियोजना के चालू होने की तारीख को बाध्य माना जा सकता है संयंत्र जीवन की पूरी अवधि (20 वर्ष) के लिए बिजली उत्पादक जूनागढ़ के मामले में पीपीए के खंड 4.6 द्वारा परिकल्पना की गई थी। वह इसके अलावा, एयर कूल्ड कंडेनसर के कारण टैरिफ में संशोधन और बायोगैस ईंधन के अपर्याप्त मूल्य निर्धारण के दावे के आधार पर इसे नकारना है स्वयं विरोधाभासी.

15. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम की धारा 86(1)(बी) राज्य को सशक्त बनाती है बिजली की बिक्री और खरीद की कीमत को विनियमित करने के लिए आयोग उत्पादन कंपनियों और वितरण लाइसेंसधारियों के बीच वितरण और आपूर्ति के

लिए उत्पादित बिजली के लिए समझौते। जैसा कि इसके द्वारा आयोजित किया गया है। श्री वेंकट सेटरामंजनेय चावल और तेल मिल्स और अन्य बनाम एपी राज्य (सुप्रा) के. रामनाथन बनाम टी.एन राज्य और अन्य. (सुप्रा) और डी.के. त्रिवेदी और संस बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (सुप्रा) की शक्ति विनियमन वास्तव में व्यापक महत्व का है। निम्नलिखित से उद्धरण उपरोक्त मामलों में रिपोर्ट इस मुद्दे पर प्रकाश डालेगी। श्री वेंकट सेटरामंजनेय चावल और तेल मिल्स और अन्य एपी राज्य (सुप्रा)

> "20. तब श्री सीतलवाड द्वारा यह हल्का तर्क दिया गया था कि विनियमन करने की शक्ति धारा 3(1) द्वारा प्रतिवादी को प्रदत्त शक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता टैरिफ दर बढ़ाएँ; इसमें दरों को कम करने की शक्ति शामिल होगी। यह तर्क पूरी तरह से ग़लत है। "नियमन" शब्द काफी व्यापक है प्रतिवादी को या तो बढ़ाकर विनियमित करने की शक्ति प्रदान करना दर, या दर कम करना, परीक्षण यह है कि क्या आवश्यक है या की आपूर्ति को बनाए रखने, बढ़ाने या सुरक्षित करने के लिए किया जाना समीचीन है विचाराधीन आवश्यक लेख और इसकी न्यायसंगत व्यवस्था करना वितरण और उचित मूल्य पर इसकी उपलब्धता।
>
> ...." के. रामनाथन बनाम. टी.एन राज्य & अन्य. (सुप्रा)
>
> "18. "विनियमन" शब्द का कोई कठोर या अनम्य अर्थ नहीं हो सकता "निषेध" को बाहर करने के लिए। "विनियमित" शब्द को परिभाषित करना कठिन है कोई सटीक अर्थ होना। यह व्यापक अर्थ वाला, व्यापक अर्थ वाला शब्द है अर्थ, और दायरे में बहुत व्यापक है।

की विविधता है इसके अर्थ और किसी विशेष राज्य में इसके अनुप्रयोग के बारे में राय तथ्य, कुछ अदालतें इस शब्द को कुछ हद तक प्रतिबंधित कर रही हैं, और अन्य इसे एक उदार, निर्माण देना। अर्थ के विभिन्न शेड्स हैं कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, वॉल्यूम में प्रकाशित। 76 बजे पी. 611: "'विनियमन' को विभिन्न प्रकार से समायोजित करने के अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है; समायोजित करना, ऑर्डर करना, या नियम, पद्धति या स्थापित पद्धति से शासन करना; नियम द्वारा समायोजित या नियंत्रित करना, पद्धति, या स्थापित पद्धति, या शासी सिद्धांत या कानून; शासन करना; को नियम से शासन करो; कुछ नियमों या प्रतिबंधों के द्वारा शासन करना या उनके अधीन होना; नियम के अनुसार शासन या निर्देशन करना; नियंत्रित करना, शासन करना या निर्देशित करना नियम या विनियम.

'विनियमन' को निर्देशित करने के अर्थ के रूप में भी परिभाषित किया गया है; नियम द्वारा निर्देशित करना या प्रतिबंध; कुछ मानकों, कानूनों या के अनुसार निर्देशन या प्रबंधन करना नियम; शासन करने के लिए; संचालन करना; ठीक करना या स्थापित करना; को नियंत्रित करने के लिए; प्रतिबंधित करने के लिए।" यह भी देखें: वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, वॉल्यूम। द्वितीय, पृ. 1913 और शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वॉल्यूम। द्वितीय, तृतीय संस्करण, पृ. 1784.

19. यह अक्सर कहा जाता है कि नियमन करने की शक्ति आवश्यक नहीं है इसमें निषेध करने की शक्ति शामिल है, और सामान्यतः "विनियमित" शब्द नहीं है "निषेध" शब्द का पर्यायवाची। यह

सामान्य अर्थों में सत्य है यह अर्थ कि मात्र विनियमन पूर्ण निषेध के समान नहीं है। पर उसी समय, विनियमित करने की शक्ति अपने साथ पूरी शक्ति रखती है वस्तु नियमन के अधीन है और प्रतिबंधात्मक शब्दों के अभाव में शक्ति है संपूर्ण विषय पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य शक्ति से है शासन करना, निर्देशित करना और नियंत्रित करना, और इसमें एक नियम या मार्गदर्शन को अपनाना शामिल है पालन किए जाने वाले सिद्धांत, या उसके संबंध में नियम बनाना विनियमित किये जाने का विषय। विनियमित करने की शक्ति का तात्पर्य जाँच करने की शक्ति से है और इसका तात्पर्य कुछ परिस्थितियों में, जहां भी हो, निषेध करने की शक्ति से हो सकता है सर्वोत्तम या एकमात्र प्रभावशाली विनियमन में दमन शामिल है। यह होगा अतः प्रतीत होता है कि "विनियमन" शब्द में कोई अनम्यता नहीं हो सकती जिसका अर्थ है "निषेध" को बाहर करना। इसके अर्थ के विभिन्न शेड्स हैं और इसका रंग उस संदर्भ से लेना चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया जाता है कानून का उद्देश्य और उद्देश्य, और न्यायालय को आवश्यक रूप से होना चाहिए उस शरारत को ध्यान में रखें जिसका समाधान विधायिका करना चाहती है।''

डी.के. त्रिवेदी और संस बनाम. गुजरात राज्य एवं अन्य. (सुप्रा)

"30. इसे ध्यान में रखते हुए, अब हम नियम की प्रकृति की जांच करते हैं- धारा 15(1) द्वारा राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान करना। हालाँकि धारा 14 के अंतर्गत, धारा 13 उन धाराओं में से एक है जो नहीं गौण खनिजों पर लागू करें, धारा 13(1) की भाषा समरूप है धारा

15(1) की भाषा के साथ। इनमें से प्रत्येक प्रावधान प्रदान करता है "विनियमन" हेतु नियम बनाने की शक्ति। द शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, तीसरा संस्करण, "रेगुलेट" शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "नियंत्रित करना, शासन करना, या नियम या विनियमों द्वारा निर्देशित करना; मार्गदर्शन के अधीन या प्रतिबंध; परिस्थितियों या परिवेश के अनुकूल ढलना"। इस प्रकार, शक्ति धारा 13(1) और 15(1)धारा 13(1) के मामले में इससे जुड़े उद्देश्य और अनुदान खदान पट्टों, खनन पट्टों और अन्य खनिज रियायतों के संबंध में लघु खनिज और धारा के मामले में उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए 15(1) और ऐसे अनुदान को प्रतिबंधों के अधीन करना और उन्हें इसके अनुकूल बनाना मामले की परिस्थितियाँ एवं परिवेश जिसके सन्दर्भ में ऐसा हो शक्ति का प्रयोग किया जाता है. यह ध्यान में रखना उचित है कि शक्ति धारा 13(1) और 15(1) द्वारा प्रदत्त विनियमन है न केवल के संबंध में उन उपधाराओं में उल्लिखित लाइसेंस और पट्टों का अनुदान लेकिन है "उससे जुड़े उद्देश्यों" यानी उद्देश्यों के संबंध में भी ऐसे अनुदान से जुड़ा हुआ है।"

16. उपरोक्त सभी सुझाव देंगे कि धारा 86(1)बी) को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को लचीलेपन के पक्ष में झुकना चाहिए और इसमें हिंसात्मकता नहीं पढ़नी चाहिए जहां तक पीपीए की शर्तों में अनुमोदित टैरिफ की बात है आयोग चिंतित है. यह एक अच्छा सिद्धांत होगा यदि सार्वजनिक हित निर्धारित हो तो ऐसी शक्ति प्रदान करने की व्याख्या आसपास की घटनाओं और परिस्थितियों के लिए टैरिफ की समीक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान मामले के तथ्य, जैसा कि विस्तार से बताया गया है वर्तमान राय, सुझाव देगी कि न्यायालय को इस तरह के पक्ष में झुकना चाहिए धारा 14 और

21 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखते हुए देखें सामान्य धारा अधिनियम, 1898। इस संदर्भ में, इस न्यायालय के विचार सामान्य खंड अधिनियम की धारा 14 और 21 का तात्पर्य और प्रभाव होना इसके निर्णय की कंडिका 47, 48 एवं 49 को निकालकर पुनः संज्ञान लिया गया कोर्ट डी.के. त्रिवेदी और संस बनाम. गुजरात राज्य एवं अन्य.(सुप्रा)।

> "47. अगला तर्क यह था कि यद्यपि धारा 15(1) के तहत राज्य सरकारों के पास भुगतान के लिए नियम बनाने की शक्ति हो सकती है रॉयल्टी और डेड रेंट, उपधारा (3) से पता चला कि ऐसी शक्ति नहीं थी अनिवार्य किराये की दर को बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन करने का विस्तार करें। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण यह था कि रॉयल्टी की दर बढ़ाने की शक्ति द्वारा नियमों में संशोधन करके उपधारा (3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था नियमों में तत्समय निर्धारित दर पर शब्दों का प्रयोग गौण खनिजों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित" लेकिन वहाँ था डेड रेंट के संबंध में धारा 15 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम इसे करने में असमर्थ हैं इस निवेदन को स्वीकार करें. धारा 15(1) के तहत नियम, हालांकि राज्य द्वारा बनाए गए हैं सरकारें, एक केंद्रीय अधिनियम के तहत बनाए गए नियम हैं और इसके प्रावधान हैं सामान्य खंड अधिनियम, 1897, ऐसे नियमों पर लागू होता है। की धारा 21 के अंतर्गत सामान्य धारा अधिनियम, जहां किसी भी केंद्रीय अधिनियम द्वारा नियम बनाने की शक्ति है प्रदान किया गया है, तो उस शक्ति में एक शक्ति भी शामिल है, जिसका प्रयोग उसी तरीके से किया जा सकता है और समान मंजूरी और शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जोड़ना, संशोधन करना, इस प्रकार बनाए गए किसी भी नियम को बदलना या रद्द करना। नियमों में

संशोधन करने की शक्ति है इसलिए, नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत और धारा 15(1) के रूप में समझा जाता है राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है यह अनिवार्य किराया और रॉयल्टी का भुगतान भी राज्य को प्रदान करता है सरकार को उन नियमों में संशोधन करने की शक्ति है ताकि दरों में बदलाव किया जा सके इस प्रकार निर्धारित रॉयल्टी और डेड रेंट, या तो बढ़ाकर या घटाकर दरें।

....

48. तब यह तर्क दिया गया कि उप-धारा (1) की भाषा ही धारा 15 दर्शाता है कि यह राज्य को कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है सरकारों द्वारा रॉयल्टी या डेड रेंट की दर बढ़ाने का नियम है जो उस उपधारा के अंतर्गत बनाए जाने हैं, के अनुदान को विनियमित करने के लिए हैं खदान पट्टों, खनन पट्टों और अन्य खनिज रियायतों के संबंध में लघु खनिज और, इसलिए, उस उप-धारा के तहत नियम बनाए जा सकते हैं केवल उस समय के संबंध में जब ऐसे पट्टे या रियायतें दी जाती हैं और उसके बाद के किसी भी समय के संबंध में नहीं के संबंध में धारा 15 की उप-धारा (3) के समान कोई प्रावधान नहीं है डेड रेंट, डेड रेंट की दर में वृद्धि का प्रावधान करने वाला कोई नियम पट्टे का निर्वाह अधिकारेतर होगा धारा 15। यह सबमिशन पदार्थ से रहित है. जैसा कि पहले बताया गया है, धारा की उपधारा (3)। 15 धारा 15(1) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है, नियमों में संशोधन करने की शक्ति को बनाने की शक्ति के अंतर्गत समझा जाता है धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त नियम। भवन निर्माण धारा 15(1) में "अनुदान" शब्द पर

रखने की मांग भी नहीं की जा सकती स्वीकृत। पट्टा देते समय यह निर्धारित करने का अधिकार अनुदानकर्ता के पास होता है अनुदान की अवधि के दौरान पालन की जाने वाली शर्तें उनमें से किसी के भी उल्लंघन पर पट्टे को जब्त करने का प्रावधान करना स्थितियाँ। यदि पट्टे के अनुदान में ऐसी शर्तें निर्धारित नहीं की गई थीं, पट्टेदार दण्डमुक्ति के साथ शर्तों का उल्लंघन कर सकता है पट्टा। अचल संपत्ति के साधारण पट्टे कभी-कभी आवधिक प्रावधान करते हैं किराये में बढ़ोतरी और ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसी बढ़ोतरी न हो किसी खनन या खदान पट्टे या अन्य खनिज रियायत के तहत दिया गया एक नियामक क़ानून जिसका उद्देश्य जनता के लाभ के लिए है और उससे भी कम कारण यह है कि इस तरह के क़ानून को नियम प्रदान करने की शक्ति प्रदान नहीं की जानी चाहिए पट्टे के अस्तित्व के दौरान अनिवार्य किराये की दर में वृद्धि के लिए। ....
....

49. उपरोक्त तर्क के समर्थन में यह भी प्रस्तुत किया गया कि धारा 15(3) में निहित प्रावधान जैसे प्रावधान का अभाव अनिवार्य किराये की दर में वृद्धि इतनी नहीं की जा सकती कि प्रभावित हो अस्तित्व पट्टों और यह कि जब तक यह निर्माण उप- पर नहीं रखा गया था धारा (1), उस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्ति कानून की दृष्टि से खराब होगी एक मनमानी शक्ति होना. यह प्रस्तुत किया गया कि एक खनन पट्टा है दो पक्षों के बीच हुए अनुबंध का परिणाम और डेड रेंट हिस्सा है पट्टे के अनुदान के लिए विचार, और जैसा कि मामले में होता है माल की बिक्री का अनुबंध, इसे किसी की मीठी इच्छा पर नहीं छोड़ा

जा सकता विक्रेता को वही कीमत वसूलनी होगी जो उसे पसंद हो, उसी प्रकार पट्टे के मामले में भी और धारा 15(1) के तहत दी गई रियायतें, इसे राज्य पर नहीं छोड़ा जा सकता है सरकारों को नियमों में संशोधन करना होगा ताकि वे जो चाहें किराया वसूल सकें और पट्टे के अस्तित्व के दौरान जब भी वे चाहें। हमें नहीं मिला इनमें से किसी भी प्रस्तुतीकरण में सार है। खदान पट्टा, खनन पट्टा या गौण खनिज के संबंध में अन्य खनिज रियायत लागू नहीं होती है सामान्य अनुबंध के समान स्तर। ये पट्टे और रियायतें हैं राज्य सरकारों द्वारा वैधानिक नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है एक नियामक अधिनियम द्वारा उन्हें शक्ति प्रदान की गई। खनिज का हिस्सा हैं भौतिक संसाधन जो किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा का निर्माण करते हैं और यदि राष्ट्र को औद्योगिक रूप से आगे बढ़ना है और यदि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को लाभ होना है इन संसाधनों का समुचित विकास एवं दोहन नहीं हो पाता इसे कुछ ही वर्षों में बर्बाद और ख़त्म हो जाने दिया गया जनता और राष्ट्रीय की परवाह किये बिना अंधाधुंध शोषण दिलचस्पी। न्यायालय नेतमिलनाडु राज्य में भी यही विचार व्यक्त किया था वी. हिंद स्टोन. .... धारणा यह है कि एक प्राधिकारी है वैधानिक शक्ति से युक्त होकर ऐसी शक्ति का यथोचित प्रयोग करेगा, और यदि जनहित में और खानों के प्रभावी विनियमन के लिए गौण खनिजों की खदानें और ऐसे खनिजों का समुचित विकास, a केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार ऐसा करना उचित समझती है नियमों में संशोधन किया जाए जिससे डेड रेंट की दर बढ़ सके, ऐसा नहीं कहा जा सकता के सामान्य कानून

के सिद्धांतों द्वारा उसे ऐसा करने से रोका जाता है ठेके। ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों में मृतकों की दर में बढ़ोतरी हो कुछ प्रकार के गौण खनिजों के संबंध में पट्टा धारकों को किराया देना प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है लेकिन निजी हित की अनुमति नहीं दी जा सकती सार्वजनिक हित पर हावी होना। खनिजों का संरक्षण एवं उनका समुचित उपयोग शोषण के परिणामस्वरूप समुदाय और उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है राज्य सरकारों को अतिरिक्त किराये की दर बढ़ाने का अधिकार है गौण खनिजों का समुचित संरक्षण एवं विकास सुनिश्चित करना यद्यपि यह मौजूदा पट्टे के तहत पट्टेदार की देनदारी को प्रभावित कर सकता है।"

17. इसी तरह का विचार श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड और अन्य में व्यक्त किया गया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [(2011) 3 एससीसी 193] पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

"41. सामान्य खंड अधिनियम की धारा 14 और 21 के आधार पर, जब ए किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी प्राधिकारी को शक्ति प्रदान की जाती है, ऐसी शक्ति कर सकती है समय-समय पर प्रयोग किया जाता है और अपने साथ वापस लेने की शक्ति रखता है, पहले जारी की गई अधिसूचनाओं को संशोधित, संशोधित या रद्द किया जाएगा समान तरीके से और समान शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, संलग्न शक्ति का प्रयोग. इसे स्वीकार करना बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण होगा एक बार तय की गई प्रभार्यता को बदला नहीं जा सकता। चूँकि इसमें चार्जिंग प्रावधान है विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 राज्य

सरकार के अधीन है छूट देने वाले अधिनियम की धारा 49 के तहत अधिसूचना जारी करने की शक्ति, राज्य सरकार, सामान्य धारा अधिनियम की धारा 21 के मद्देनजर, कर सकती है किसी छूट अधिसूचना को हमेशा वापस लें, रद्द करें, जोड़ें या संशोधित करें। नहीं उद्योग यह दावा कर सकता है कि सरकार को अपना अधिकार प्रयोग करना चाहिए धारा 49 के तहत शक्ति और छूट की पेशकश करना सरकार का काम है तय करें कि क्या शर्तें ऐसी हैं कि छूट दी जानी चाहिए या नहीं नहीं।"

18. बिदाई से पहले, इस न्यायालय की हालिया घोषणाओं के बारे में एक शब्द गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम में। ईएमसीओ लिमिटेड और अन्य. (सुप्रा) और बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी बनाम। कोणार्क पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सुप्रा), अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किया गया। इसमें वो सब नोट करना जरूरी होगा संबंध वह संदर्भ है जिसमें पीपीए की शर्तों की समीक्षा की आवश्यकता होती है उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा पाया गया था। गुजरात ऊर्जा विकास निगम में सीमित बनाम ईएमसीओ लिमिटेड और amp; अन्य. (सुप्रा) बिजली क्रेता ने लाभ मांगा इसके बाद शुरू की गई परियोजनाओं के लिए दूसरा टैरिफ आदेश प्रभावी बनाया गया 29.01.2012 (बिजली क्रेता ने अपनी परियोजना 02.03.2012 को चालू की थी) हालाँकि पीपीए के तहत इसे पहले टैरिफ ऑर्डर द्वारा नियंत्रित किया जाना था जनवरी, 2010. पहले टैरिफ ऑर्डर के तहत ऐसी परियोजनाओं के लिए जो थे उक्त आदेश के तहत निर्धारित तिथि को या उससे पहले चालू नहीं किया गया, अर्थात्, 31.11.2011 को देय टैरिफ का निर्धारण गुजरात द्वारा किया जाना था विद्युत नियामक आयोग. उपरोक्त मामले में बिजली उत्पादक ने ऐसा किया एक अलग टैरिफ के निर्धारण की मांग नहीं की गई थी, लेकिन जो मांग की गई थी वह थी घोषणा कि द्वितीय टैरिफ आदेश दिनांक

27.01.2012 लागू है 29.01.2012 के बाद पीपीए लागू होंगे। यह इसी सन्दर्भ में है इस न्यायालय ने यह विचार किया था कि बिजली उत्पादक को राहत नहीं दी जाएगी पीपीए के तहत इसके संविदात्मक दायित्वों के बारे में। बेंगलुरु के मामले में विद्युत आपूर्ति कंपनी बनाम कोणार्क पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सुप्रा), यह न्यायालय यह माना गया कि टैरिफ में बदलाव करना राज्य आयोग की शक्ति से परे था में विशिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित पीपीए के तहत तय किया गया केईआरसी (नवीकरणीय स्रोतों से बिजली खरीद) के विनियम 5.1 और 9 वितरण लाइसेंसधारी द्वारा) विनियम, 2004 और 2011 क्रमशः उसी तारीख से पहले संपन्न पीपीए को विशेष रूप से बाहर रखा गया है प्रश्नगत विनियमों की अधिसूचना.

19. उपरोक्त के मद्देनजर, अपीलें खारिज की जाती हैं और आदेश दिनांकित किये जाते हैं अपीलीय न्यायाधिकरण के 31.05.2012 और 02.12.2013 की पुष्टि की जाती है। में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, पक्षों को अपना स्वयं का भार उठाने के लिए छोड़ दिया जाता है लागत.

कल्पना के. त्रिपाठी याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावाहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।